"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 323] रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2002—अग्रहायण 25, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

क्रमांक 8626.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 4-12-2002 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. वाजपेयी, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 34 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2002

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्र. 23 सन् 1965) को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्र. 34 सन् 2002) है.

(2) यह छत्तीसगढ़ राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 8 की उपधारा (ख) के पश्चात् अन्त: स्थापन. 2. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्र. 23 सन् 1965) की धारा 8 की उपधारा (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"खख—ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं संचालित करना, जो राज्य शासन द्वारा सौंपी जाएं".

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

क्रमांक 8626.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्र. 34 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. वाजपेयी, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ADHINIYAM

(No. 34 of 2002)

CHHATTISGARH MADHYAMIK SHIKSHA (AMENDMENT) ADHINIYAM, 2002

An Act to amend the Chhattisgarh Madhyamik Shiksha Adhiniyam, 1965 (No. 23 of 1965).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-third year of the Republic of India :—

Short title and Commencement. 1. (1) This ordinance may be called Chhattisgarh Madhyamik Shiksha (Amendment) Adhiniyam, 2002 (No. 34 of 2002).

(2) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette of Chhattisgarh.

2. After sub-section (b) of Section 8 of the Chhattisgarh Madhyamik Shiksha Adhiniyam, 1965 (No. 23 of 1965) the following sub-section shall be inserted, namely :— **Insertion after sub-section (b) of Section 8.**

"(bb) To conduct such entrance examinations for professional courses which may be entrusted by the State Government."

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.